डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवजीन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 दिसंबर 2002—अग्रहायण 22, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 32 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. सन् 2001) है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(दो) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे .

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 135 में शब्द "दस प्रतिशत से अधिक नहीं" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत से अधिक नहीं" स्थापित किया जाय. **धारा 135 में संशोधन.**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 135 के अनुसार संपत्ति कर की न्यूनतम सीमा 6 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत है. यह देखा गया है कि नगर निगमों की आय में कमी आयी है. इसलिए यह संशोधन लाया गया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 4 दिसम्बर, 2001

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के धारा 135 का सुसंगत उद्धरण :—

धारा -135 संपत्तिकर के अधिरोपण —"इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कर ऐसी दर पर जो कि वार्षिक भाड़ा मूल्य के छह प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, प्रभारित उद्ग्रहित तथा संदत्त किया जायेगा जैसा कि निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अवधारित किया जाए".

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.